



भारत निर्वाचन आयोग

प्ररूप-6 क

अभिस्वीकृति सं.
(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 88 देखिए)

किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सभा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र

मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे नाम को निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें मेरा निवास स्थान अवस्थित है, जैसा कि नीचे (ज) में वर्णित है, की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाए :

(क) नाम*

पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शित करते हुए नवीनतम फोटो (3.5 से.मी. x 3.5 से.मी.) चिपकाने के लिए स्थान)

(ख) अंतिम नाम*

(ग) नातेदार का नाम*

पिता माता पति पत्नी अन्य

(घ) नातेदार का अंतिम नाम*

(ज) जन्म की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

/ / /

(च) जन्म का स्थान

ग्राम/शहर

जिला

राज्य

(छ) लिंग (उचित बॉक्स में का x चिन्ह लगाएं)

पुरुष

स्त्री

तृतीय लिंग

(ज) ई-मेल #

(झ) मोबाइल #

(ज) मूल पासपोर्ट में
यथावर्णित भारत में पता

गृह सं.

गली/क्षेत्र/स्थान

शहर/ग्राम

जिला

(ट) वर्तमान पासपोर्ट के व्यौरे

जारी करने का
स्थान

पिन कोड

पासपोर्ट सं.

समाप्त होने

की तारीख
(दिन/मास/वर्ष)

जारी करने की तारीख
(दिन/मास/वर्ष)

(ठ) विद्यमान निवास के देश के
वीजा के व्यौरे

वीजा संख्या

जारी करने
की तारीख

समाप्ति
की तारीख

वीजा की
किसी

जारी करने वाले प्राधिकारी
का नाम

* केवल स्पष्ट अक्षरों में भरा जाना है

वैकल्पिक

टिप्पण : (ऊपर मद (क) से (झ) में वर्णित विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करने वाले पासपोर्ट के सुसंगत पृष्ठों और वर्तमान वैद्य वीजा पृष्ठांकन, जिसका ऊपर वर्णन किया गया है, की विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करने वाले पासपोर्ट के सुसंगत पृष्ठों की प्रतियां- यदि डाक द्वारा भेजा जाता है तो (सम्यक् रूप से स्वतः अनुप्रमाणित) प्रतियों को और यदि व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो प्रतियों के साथ मूल पासपोर्ट के साथ संलग्न करें।

2. (क) भारत में मामूली रूप से निवास स्थान से अनुपस्थित रहने के कारण	नियोजन <input type="checkbox"/>	शिक्षा <input type="checkbox"/>	अन्य विवरण (दें)	
(ख) वह तारीख, जिससे भारत में मामूली रूप से निवास से अनुपस्थित है, (दिन/मास/वर्ष)			<input type="checkbox"/>	
3. भारत से बाहर, जहां निवास कर रहे हैं, देश में पूर्ण विद्यमान पता-	गृह सं.			
गली/क्षेत्र/स्थान				
शहर/ग्राम				
राज्य			देश	
पिन कोड	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			

घोषणा - मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार-

- क. इस आवेदन में दी गई संपूर्ण जानकारी सत्य है।
- ख. मैं जन्म से/अधिवास से/देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक हूँ।
- ग. मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है।
- घ. किन्तु ऊपर 2 (क) में दिए गए कारण से भारत में मेरे मामूली निवास के स्थान से अनुपस्थित होने के कारण, मैं मेरे भारतीय पासपोर्ट में दिए गए पते पर मामूली तौर पर निवासी रहूँगा, जिसे ऊपर 1 (ज) में उद्धृत किया गया है।
- ड. मैं मेरे द्वारा भारतीय नागरिकता का त्याग किए जाने या मेरे द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित किए जाने पर मेरे वर्तमान निवास के देश में भारतीय मिशन के माध्यम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर को तत्काल सूचित करने का वचन देता हूँ।
- च. मेरे निवास के देश में मेरे वर्तमान निवास के पते में कोई परिवर्तन होने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के अभिलेख के लिए मैं मेरे वर्तमान निवास के देश में भारतीय मिशन के माध्यम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर को तत्काल सूचित करने का वचन देता हूँ। मैं यह जानता हूँ कि मेरे निवास पर भेजा गया कोई नोटिस, जो कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के अभिलेख के अनुसार मेरे वर्तमान निवास के देश में मेरे निवास का पता है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन मुझे नोटिस की सम्यक तामील समझी जाएगी और यह मेरा उत्तरदायित्व है कि मेरे वर्तमान निवास के देश में मेरे अद्यतन निवास के पते की सूचना मैं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर को देता रहूँ।
- छ. यदि मैं भारत वापस लौटा हूँ और भारत में मामूली तौर पर निवासी हो जाता हूँ, तो मैं संबंधित विधान सभा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर को तत्काल सूचित करूँगा।
- ज. मैंने किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है।
- झ. इस या किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र में मेरा नाम पहले सम्मिलित नहीं किया गया है या मेरा नाम.....राज्य के.....निर्वाचन-क्षेत्र के, जिसमें मैं नीचे उल्लिखित पते पर पहले से ही मामूली तौर से निवास कर रहा था, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा सके और यदि ऐसा है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसे उस निर्वाचक नामावलीसे हटा दिया जाए या स्थानांतरित कर दिया जाए, जैसा भी उपयुक्त हो, पूरा पता (मामूली तौर से निवास का पूर्व स्थान)निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र संख्यांक (यदि जारी किया गया है)जारी करने की तारीख
- ज. मुझे भारत में निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी नहीं किया गया है/निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी किया गया है जो निरस्तीकरण के लिए इस आवेदन के साथ संलग्न है।

टिप्पणि : कोई व्यक्ति, जो कोई ऐसा कथन या घोषणा करता, जो मिथ्या है और जिसके प्रति वह यह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है या उसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय है।

स्थान.....

तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर

की गई कार्रवाई के ब्यौरे (निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा भरा जाएगा) दिन/मास/वर्ष को प्राप्त आवेदन	
श्री/श्रीमती/कुमारी के प्ररूप 6 में प्राप्त आवेदन को (क) में स्वीकार कर लिया गया है और उनके नाम को (निर्वाचन क्षेत्र) के क्रम सं..... के भाग सं. की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। (ख) अस्वीकार करने के कारण :-	
तारीख :	ईआरओ /ईआरओ/बीएलओ का नाम/हस्ताक्षर

अभिस्वीकृति/रसीद

अभिस्वीकृति सं.

तारीख

श्री/श्रीमती/सुश्री से स्वयं का नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है।
(आवेदक आवेदन की स्थिति की अभिस्वीकृति संख्या को निर्दिष्ट करते हुए जांच कर सकता है)।

ईआरओ/ईआरओ/बीएलओ का नाम/हस्ताक्षर

आवेदन प्ररूप-6क भरने के लिए दिशा-निर्देश

प्ररूप-6क

प्रपत्र-6क से संलग्न होगा

प्ररूप-6क कौन दाखित कर सकता है-

- विदेश में रहने वाला भारत का प्रत्येक ऐसा नागरिक, जिसने किसी बाहर के देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है, और वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उस अवस्थान से, जिसमें उसके पासपोर्ट में यथा-उल्लिखित भारत में उसका निवास स्थान अवस्थित है, संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र की नामावली में पंजीकरण के लिए प्ररूप 6क में आवेदन कर सकता है। प्ररूप 6क में आवेदन को संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।
- आवेदक ने उस वर्ष की 1 जनवरी को अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। उदाहरण के लिए, यदि आवेदन 01-01-2017 की अर्धक तिथि के संदर्भ में निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के लिए है तो आवेदक द्वारा 01-01-2017 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो।

प्ररूप 6क की उपलब्धता

प्ररूप निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ)/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) कार्यालय/नामोद्विष्ट लोकेशनों/अधिकृत केन्द्रों में उपलब्ध होंगे। इसे एनवीएसपी पोर्टल अर्थात् <http://www.nvsp.in/> से या भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट अर्थात् <http://www.nvsp.in/> से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

प्ररूप 6क में आवेदन कहां जमा करना है-

आवेदन उस निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) को सीधे प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके भीतर विधिमान्य पासपोर्ट में दिया गया आवेदक के सामान्य निवास का स्थान आता है। प्ररूप 6क में आवेदन ईआरओ को व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जा सकता है या संबंधित ईआरओ को संबोधित डाक द्वारा भेजा जा सकता है। आवेदन निर्वाचन आयोग के नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (एनवीएसपी) अर्थात् <http://www.nvsp.in/> पर या संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की वेबसाइट (सीईओ की वेबसाइट के लिंक आयोग की वेबसाइट अर्थात् http://www.eci.ni.in/eci_main1/inks.aspx पर दिए गए हैं) पर भी ऑनलाइन दाखिल किए जा सके हैं। भारत में सभी निर्वाचन-क्षेत्रों के ईआरओ के विवरण एवं डाक पते संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं जिसे भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट <http://www.eci.ni.in> के माध्यम से देखा जा सकता है।

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

- आवेदक का सम्पूर्ण चेहरा उपदर्शित करते हुए हल्की पृष्ठभूमि (अधिमानतः सफेद) के साथ हाल का पासपोर्ट साइज का एक रंगीन फोटो चिपकाए।
- प्ररूप 6क में सभी स्तंभों को भरें। नाम और अन्य विवरण, जैसा कि विधिमान्य भारतीय पासपोर्ट में दिया गया है, लिखे जाने चाहिए।
- यदि आवेदन डाक द्वारा भेजा जाता है तो उसके साथ आवेदक के फोटो और अन्य सभी विवरणों वाले पासपोर्ट के संगत पृष्ठों तथा विधिमान्य वीजा पृष्ठांकन वाले पृष्ठ की फोटो-प्रति संलग्न की जानी चाहिए।
- ये फोटो-प्रतियां विधिवत् रूप से स्व-अभिप्रमाणित होनी चाहिए। इन दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित फोटो प्रतियों के बाहर प्राप्त आवेदन सरसरी तौर पर अस्वीकृत किए जा सकते हैं।
- यदि आवेदन ईआरओ के समक्ष व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जाता है तो आवेदन के साथ ऊपर यथा-उल्लिखित पासपोर्ट के संगत पृष्ठों की फोटो-प्रति संलग्न की जानी चाहिए। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सत्यापन किए जाने के लिए आवेदन के साथ मूल पासपोर्ट भी प्रस्तुत किया जानाचाहिए। पासपोर्ट सत्यापन किए जाने के उपरांत तत्काल लौटा दिया जाएगा।

मतदान

- यह नोट किया जाए कि आवेदक के नाम के पंजीकरण के बाद वे निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन में मत डालने में सक्षम हो पाएंगे बशर्ते वे मतदान के दिन अपने मूल पासपोर्ट के साथमतदान केन्द्र पर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हों।